# उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून



(मा॰ उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था) शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून– 248001 फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com

website : http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board

कार्यालय पत्रांक :974—995Ukd. AWB (139)/ 2020-21 सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ सदस्य सचिव, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति, जनपद – देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/पौडी/उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग/ अल्मोड़ा/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़।

विषय : गोवंश के प्रति क्रूरता की दशा में लिये गये सम्भावित गोऊतकों के नमूनों के पहचान परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला हेतु आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया का निर्धारित किये जाने के क्रम में।

महोदय,

राज्यान्तर्गत गोवंध के निषेध, गोतस्करी पर प्रभावी रोक तथा गोवंश के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा *'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007'* पारित किया गया है। तद्क्रम में शासन द्वारा अधिनियम की *'धारा–13(1)'* के तहत *'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018'* का प्राख्यापन किया गया है।

'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018' के 'नियम–33' के आलोक में शासन द्वारा गजट अधिसूचना संख्या 1002 पशुपालन अनुभाग–1 दिनांक 01 नवम्बर, 2019 के अनुरुप गोवंश के प्रति क्रूरता की दशा में लिये गये गोऊतकों के नमूनों के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया गया। तद्नुसार भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश अन्तर्गत गोऊतकों के परीक्षण के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है तथा प्रयोगशाला में सेवारत पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1/ग्रेड–2 को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है।

*'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018'* के *'नियम–34'* के तहत निम्नानुसार गोऊतकों के संग्रहण, संरक्षित किये जाने, सीलबन्द किये जाने, संभाले जाने, परिवहन, विधि विज्ञान प्रयोगशला द्वारा प्राप्त किये जाने, प्राप्ति के समय प्रारम्भिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने, प्रयोगशाला में गोऊतकों का परीक्षण किये जाने तथा परीक्षण उपरान्त निष्कर्ष घोषित किये जाने के क्रम में आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक–1)।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी तथा जिला एस॰पी॰सी॰ए॰ के माध्यम से अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ यथोचित समन्वयन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

दिनांक : 24 जुलाई, 2020

- 1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 2. सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौडी गढ़वाल / कुमायूॅ मण्डल, नैनीताल।
- 4. समस्त जिलाधिकारी / पदेन अध्यक्ष, जिला एस॰पी॰सी॰ए०, उत्तराखण्ड।
- 5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पदेन उपाध्यक्ष, जिला एस०पी०सी०ए०, उत्तराखण्ड।
- समस्त जिला अभियोजन अधिकारी/पदेन सदस्य, जिला एस०पी०सी०ए०, उत्तराखण्ड।

(डा० के०के० जोशी) सचिव उ0प0का बोर्ड निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखड देहरादून

(डा० केठके० जोशी)

(७० ०००० जाशा) सचिव उठपठका बोर्ड निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराख्ड देहरादून गो ऊतकों के परीक्षण हेतु स्थापित विधिविज्ञान प्रयोगशाला हेतु नमूनों के संकलन, संचालन, हस्तान्तरण एवं अभिलेखीकरण हेतु अपेक्षित आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया :

राज्यान्तर्गत गोवध के निषेध, गोतस्करी पर प्रभावी रोक तथा गोवंश के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा *'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007'* पारित किया गया है। तद्क्रम में शासन द्वारा अधिनियम की *'धारा–13(1)'* के तहत *'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018'* का प्राख्यापन किया गया है।

*'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018'* के *'नियम–33'* के आलोक में शासन द्वारा गजट अधिसूचना संख्या 1002 पशुपालन अनुभाग–1 दिनांक 01 नवम्बर, 2019 के अनुरुप गोवंश के प्रति क्रूरता की दशा में लिये गये गोऊतकों के नमूनों के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया गया। तद्नुसार भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश अन्तर्गत गोऊतकों के परीक्षण के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

*'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018'* के *'नियम–34'* के तहत निम्नानुसार गोऊतकों के संग्रहण, संरक्षित किये जाने, सीलबन्द किये जाने, संभाले जाने, परिवहन, विधि विज्ञान प्रयोगशला द्वारा प्राप्त किये जाने, प्राप्ति के समय प्रारम्भिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने, प्रयोगशाला में गोऊतकों का परीक्षण किये जाने तथा परीक्षण उपरान्त निष्कर्ष घोषित किये जाने के क्रम में निम्न आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

- 1. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश द्वारा गोऊतकों के परीक्षण हेतु स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी/संस्था अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा विधिविज्ञान प्रयोगशाला अन्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण एवं समस्त वित्तीय अधिकारों/दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा विधिविज्ञान प्रयोगशाला अन्तर्गत समस्त पत्राचार, निष्कर्षों की घोषणा एवं संवाद किया जायेगा।
- 2. क्षेत्र के पुलिस थाना/चौकी प्रभारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा 'जत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018' के 'परिशिष्ठ–17' पर गोऊतकों के नमूनों के संग्रहण हेतु अनुरोध किये जाने पर, राजकीय पशुचिकित्सालय पर पदस्थापित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक के समक्ष गोऊतकों के नमूनों का संग्रहीत एवं संरक्षित कर पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक एवं स्वयं के हस्ताक्षर सहित सीलबन्द करने के उपरान्त, 'जत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018' के 'परिशिष्ठ–17' पर गोऊतकों के नमूनों का संग्रहीत एवं संरक्षित कर पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक एवं स्वयं के हस्ताक्षर सहित सीलबन्द करने के उपरान्त, 'जत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018' के 'परिशिष्ठ–18' के अनुरुप अभिलेखबद्ध करते हुए संरक्षित नमूने, नमूनासील युक्त लिफाफे एवं 'परिशिष्ठ–18' को पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक को हस्तान्तरित किया जायेगा।
- क्षेत्र के राजकीय पशुचिकित्सालय पर पदस्थापित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा नमूनों के संग्रहण, संरक्षण एवं सीलबन्द की प्रक्रिया में निम्न सावधानियां बरती जायेंगी :--
  - (क) बिना पकाये गये गोऊतकों के नमूने का संग्रहण को प्राथमिकता दें, यदि सम्भव न हो तो अलग—अलग प्रकार के अंगों/ऊतकों के नमूनों को संग्रहित करेंगे। यथासम्भव सड़े हुए ऊतकों के नमूनों नहीं संग्रहित करेंगे। प्रयोगशाला परीक्षण में सड़े हुए/विनिष्ट हो चुके ऊतक से डी०एन०ए० प्राप्त न होने की दशा में प्रयोगशाला में गोऊतकों का पहचान परीक्षण सम्भव नहीं हो सकेगा।

- (ख) कम से कम 100 ग्राम मात्रा वाले गोऊतकों के नमूनों का संरक्षण करेंगे। कम मात्रा में गोऊतक को संग्रहण किये जाने पर नमूनों को परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (ग) प्रत्येक गोऊतक नमूने को अलग Sample Container Box में संरक्षित करते हुए, उस पर ऊतक के प्रकार का चिन्हांकन (label) लगाने के बाद ही सीलबन्द करेंगे।
- (घ) संरक्षित किये गये नमूनों को पूरी तरह से, चारों ओर से भली प्रकार सूखे नमक में ढक कर संरक्षित करते हुए Sample Container Box में रखेंगे। Sample Container Box को धागे से लपेटकर बॉधते हुए भलीप्रकार सीलबन्द करेंगे। सीलबन्द Sample Container Box को कपड़े के पैकेट में सिलकर, सिलाई को भी भलीप्रकार सीलबन्द करेंगे। कपड़े के पैकेट में सीलबन्द Sample Container Box को यथासम्भव Cold Chain में बनाये रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि, संग्रहित किये गये नमूने सड़ न पायें।
- (ङ) परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा फॉर्मेलीन में संरक्षित किये गये गोऊतकों को कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (च) पृथक-पृथक Sample Container में रखे गये ऊतक को पृथक-पृथक से चिन्हांकन (label) लगाये जायेंगे।
- (छ) एक Sample Container में रखे गये नमूने को एक नमूना माना जायेगा।
- (ज) परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा बिना सीलबन्द वाले नमूनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (झ) क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक के समक्ष नमूनों का एकत्रण एवं संरक्षण किया जायेगा। पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक एवं स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त पर्ची को भी भलीप्रकार सीलबन्द करने के उपरान्त, जत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018' के 'परिशिष्ठ–18' के अनुरुप अभिलेखीकरण किया जायेगा। संरक्षित नमूने, नमूनासील युक्त लिफाफे एवं 'परिशिष्ठ–18' को पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। पुलिस थाना/ पुलिस चौकी स्तर से अपेक्षित अभिलेखीकरण पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त इन्हें, शीधातिशीघ्र परियोजना निदेशक पशुलोक (पदेन प्रभारी, गो ऊतक परीक्षण विधिविज्ञान प्रयोगशाला पशुलोक), ऋषिकेश, देहरादून हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
- (ञ) क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित नमूनासील युक्त पृष्ठ को पृथक से बन्द लिफाफे में रखकर पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4. पुलिस थाना/चौकी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सीलबन्द नमूने प्राप्त होने के उपरान्त, यथाशीघ्र पुलिस विभाग स्तर से 'परिशिष्ट–18' ('उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018' के 'नियम–34' के तहत निर्धारित प्रपत्र) में अपेक्षित सूचनाओं को अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा गोऊतकों के नमूनों को निम्न अभिलेखों के साथ पुलिस अभिरक्षा में परियोजना निदेशक पशुलोक, ऋषिकेश को भेजा जायेगा :-
  - (क) उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 के नियम–34 के अनुरुप परिशिष्ठ–18
  - (ख) प्रथम सूचना रपट की छायाप्रति अथवा प्रथम सूचना रपट दर्ज न होने की स्थिति में अपराधिक घटना की सूचना से सम्बन्धित तहरीर की छायाप्रति।

- (ग) पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक एवं क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त सीलबन्द गोऊतकों के नमूने।
- (घ) पुलिस अभिरक्षा में सीलबन्द गोऊतकों के नमूने परिवहन कर ले जाने वाले पुलिस कार्मिक के विभागीय पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- (ङ) क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित नमूनासील युक्त बन्द लिफाफा।
- परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा उक्त बिन्दु—3 एवं बिन्दु—4 में वर्णित शर्तो का अनुपालन होने की दशा में ही नमूनों को स्वीकार किया जायेगा।
- परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा डाक, रजिस्ट्ररी, कोरियर एवं पार्सुल द्वारा भेजे गये नमूने स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 7. परियोजना निदेशक पशुलोक ऋषिकेश (विधिविज्ञान प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी/संस्था अध्यक्ष) द्वारा सम्बन्धित पुलिस विभाग के कार्मिक के समक्ष गोऊतक के नमूने की सील को खोला जायेगा तथा प्रपत्र–1 के अनुरुप गोऊतक नमूने का प्रारम्भिक निरीक्षण (review) किया जायेगा।
- 8. प्रारम्भिक निरीक्षण में नमूनों को स्वीकार करने योग्य पाये जाने पर परियोजना निदेशक पशुलोक ऋषिकेश द्वारा प्रपत्र–2 के अनुरुप प्राप्ति रसीद निर्गत की जायेगी। प्रारम्भिक निरीक्षण में नमूने को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु अनुपयोगी पाये जाने पर, प्रपत्र–3 के अनुरुप सम्बन्धित पुलिस चौकी/थाना प्रभारी को नमूने की अस्वीकृती निर्गत की जायेगी। प्रपत्र–3 की प्रति सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित की जायेगी।
- 9. सड़े गले नमूने में डी०एन०ए० के विनष्ट हो जाने पर प्रयोगशाला परीक्षण में किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।
- 10. परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा नमूने को स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त प्रपत्र–4 के अनुरुप Sample Receiving Register में सूचनाओं का अभिलेखीकरण किया जायेगा तथा प्रत्येक नमूने हेतु पहचान संख्या (ID Number) दिया जायेगा। प्रयोगशाला परीक्षण/नमूने के संग्रहण में, इस आई०डी० नम्बर का ही उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक Sample Container आई०डी० नम्बर का लेबल चस्पा किये जाने के बाद ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा।
- 11. परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा गोऊतकों के नमूने से सम्बन्धित सूचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए विशेष रुप से यह सुनिश्चित किया जायेगा की विधिविज्ञान प्रयोगशाला में सेवारत अधिकारियों/सहयोगी कार्मिकों को गोऊतकों के श्रोत से सम्बन्धित सूचनाऐं न मिलने पायें। परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा Sample Receiving Register को स्वयं के कब्जे में रखा जायेंगा।
- 12. परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा प्रपत्र—5 के अनुरुप, पहचान संख्या (ID Number) युक्त नमूनों को विधिविज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड—1 / ग्रेड—2 को हस्तान्तरित किया जायेगा।
- 13. विधिविज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड—1/ग्रेड—2 द्वारा परियोजना निदेशक पशुलोक से प्राप्त प्रत्येक नमूने के आई०डी० नम्बर के Sample Container से आधे भाग को संरक्षित करते हुए

अगले एक वर्ष के लिये सुरक्षित रख लिया जायेगा। अवशेष रह गये आधे भाग को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

14. विधिविज्ञान प्रयोगशाला में गोऊतकों के नमूनों के परीक्षण हेतु निम्न दो विधियों को निर्धारित आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया के अनुरुप प्रयोग में लाया जायेगा :--

(a) Species Specific PCR (mitochondrial D Loop)

- (b) PCR by Universal Primer Technique (12s rRNA) & Species Identification by RFLP
- 15. विधिविज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड—1 / ग्रेड—2 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया के अनुरुप नमूनों का परीक्षण सुनिश्चित करेंगे।
- 16. विधिविज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1/ग्रेड–2 द्वारा नमूने के परीक्षण के उपरान्त निष्कर्ष को प्रपत्र–6 के अनुरुप Sample Analysis Register of the Laboratory में अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा परियोजना निदेशक पशुलोक के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- 17. परियोजना निदेशक पशुलोक द्वारा प्रपत्र–7 के अनुरुप सम्बन्धित पुलिस थाना/चौकी के नियंत्रक अधिकारी को Sample Analysis Report प्रेषित की जायेगी। रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित की जायेगी।
- 18. विधिविज्ञान प्रयोगशाला पशुलोक द्वारा यथा आवश्यकतानुसार भारत सरकार के अधीन अनुसंधान संस्थानों की बेहतर साधनसम्पन्न प्रयोगशाला से मार्गदर्शन/ सहयोग/ क्षमता विकास/ पुनः प्रमाणन कराया जा सकता है।
- 19. कार्यगुणवत्ता, पारदर्शिता एवं कार्यप्रणाली के सत्यापन हेतु समय—समय पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला अन्तर्गत संरक्षित किये गये नमूनों को भारत सरकार के अधीन अनुसंधान संस्थानों की बेहतर साधनसम्पन्न प्रयोगशाला के माध्यम से पुनः परीक्षण कराया जा सकता है।
- 20. नमूना प्राप्ति के दो महीनों के भीतर विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अवश्य ही Sample Analysis Report का प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

### <u>Standard Operative Procedure for Sampling, Handling, Handover &</u> <u>Documentation of Bovine Tissues collected for analysis in Forensic Analysis</u> <u>Laboratory for Detection of Bovine Tissue</u> :

To ensure protection of cow progeny, prohibit slaughter & smuggling of cow progeny, Government Uttarakhand has enacted **'Uttarakhand Protection of** *Cow Progeny, Act 2007'*. Under **'section 13(1)'** of the act, **'Uttarakhand State** *Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018'* have been framed.

Under 'Rule-33' of the 'Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018', Government Uttarakhand has issued notification No.-1002/ XV-1/ 19/7(14)/2005 Pashupalan Section-1, dated 1<sup>st</sup> November, 2019 for, establishment of 'Forensic Analysis Laboratory for Detection of Bovine Tissue'. 'Forensic Analysis Laboratory for Detection of Bovine Tissue' has now been established at Sheep & Wool Extension Institute, Pashulok Rishikesh, Dehradun.

In the light of **'Rule-34'** under the **'Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018'** the Standard Operating Procedure for collection, sealing, handling, transport, receiving, review, acceptance/ rejection, analysis & declaration of results of analysis of the suspected Bovine Tissue Sample is being prescribed as following :-

- 1. Project Director, Sheep & Wool Extension Institute, Pashulok Rishikesh, Dehradun, shall be Head/ In-charge of the Bovine Tissue Forensic Analysis Laboratory, having Financial and Administrative control of the Laboratory. Project Director Pashulok shall be doing all the communication & release of Laboratory Analysis Report on behalf of the 'Forensic Analysis Laboratory for Detection of Bovine Tissue'.
- 2. On receiving the request on 'PROFORMA-17 (under Rule-34 of Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018)', from Controlling Officer of the Police Thana/ Police Chauki of the area, Jurisdictional Veterinary Officer of Government Veterinary Hospital of the area shall collect & preserve the Suspected Bovine Tissue Samples, get it signed by Police Personnel & self, seal the Sample and hand over to the Police Personnel, along with the sample seal on a paper inside envelop and complete documentation as prescribed in 'PROFORMA-18 under Rule-34 of Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018'.

- 3. Jurisdictional Veterinary Officer of Government Veterinary Hospital of the area shall ensure following precautions while collecting & preserving the Suspected Bovine Tissue Samples :-
  - A. Preferably uncooked flesh sample should be collected, if not available, then different type of organs or tissues may be collected. Better to avoid the sampling of putrefied tissues. DNA may not get recovered from putrefied sample, barring the identification of bovine tissue while laboratory analysis.
  - B. 100g of sample should be forwarded to Project Director, Pashulok. Samples in insufficient quantity shall not be accepted.
  - C. Before sealing, sample should be collected in Sample Container Box with proper label narrating the type of tissue.
  - D. Sample should be preserved & completely covered from all the sides, in the COMMON SALT while putting it in Sample Container Box. Thread used to pack wrap the Sample Container Box should be properly sealed with lacquer seal. Sample Container Box should be packed in cloth and the sewing on the cloth should be properly sealed. Preferably Sample Container Box should be maintained in cold chain, so that it may not get putrefied.
  - E. Samples **preserved or contaminated with FORMALIN shall not be** accepted by Project Director Pashulok.
  - F. Flesh/ Tissue identified in different containers/ pouches should be collected in different sample containers with different labels.
  - G. Sample Tissue collected in one sample container shall be considered as one sample.

# H. Samples without intact lacquer seal shall not be accepted by Project Director Pashulok.

I. Jurisdictional Veterinary Officer shall collect & seal the Sample in presence of representative from police department. After getting the slips signed & sealed by representative from police department and self, the documentation shall be done as per the PROFORMA-18 (under Rule-34 of Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018). Sealed Sample, Sample Seal put on a paper inside envelop and complete documentation as prescribed in **PROFORMA-18** shall handed over to representative from police department. After completion of documentation at the level of Police

Thana/ Police Chauki, the same may be promptly delivered to Project Director (Ex-officio In-charge, Forensic Analysis Laboratory for Detection of Bovine Tissue), Pashulok Rishikesh, Dehradun.

- J. Jurisdictional Veterinary Officer shall attest the Sample Seal put on a Paper, put it in envelope & handover to Representative from Police Department.
- 4. After receiving the sample, Controlling Officer of the Police Thana/ Police Chauki of the area, shall complete the entry of details in **PROFORMA-18** (prescribed as per 'Rule-34' under the 'Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018') & promptly dispatch the sealed samples under the police custody along with the following documents :-
  - A. PROFORMA-18 signed by sample submitting authority.
  - B. Copy of the FIR (incase FIR been filed) / brief detail of complaint.
  - C. Sample should properly sealed with lacquer along with the signature slips signed by Jurisdictional Veterinary Officer & Representative from Police Department.
  - D. Attested copy of the Departmental Identity Card of the police personnel accompanying the sample.
  - E. Envelope containing paper with Sample Seal attested by Jurisdictional Veterinary Officer.
- 5. Project Director Pashulok shall be accepting the Samples only under the condition that, the above mentioned norms prescribed in Point No. 3 & 4 are properly fulfilled.
- 6. Samples dispatched by courier/ postal mail shall not be accepted by Project Director Pashulok.
- 7. Sample submitted to Project Director Pashulok, shall be opened and reviewed in presence of sample accompanying police personnel and Head/ In-charge of the Laboratory, as prescribed in 'Format-1'.
- 8. Samples found acceptable while review, shall be issued the Receipt by Project Director Pashulok, as prescribed in 'Format-2'. In case samples found not fit to be accepted for further analysis, shall be rejected and all the concerned, shall be informed on the format as prescribed in 'Format-3'. Copy the same shall be shared to concerning Veterinary Officer (who sealed the sample), Chief Veterinary Officer of the concerning district & undersigned

- 9. Putrefied samples may not get detected while laboratory analysis because of degenerated DNA.
- 10. After accepting the sample, Project Director Pashulok shall ensure entry of details in **Sample Receiving Register** as prescribed in 'Format-4'. Each Sample shall be given an Identity Number. This Identity Number shall be used for further Laboratory Analysis/ Storage of the samples. Only after labeling of each Sample with it's Identity Number, the sample shall be handed-over for further analysis in the Forensic Laboratory.
- 11. Project Director Pashulok shall ensure the confidentiality about origin of samples with the Laboratory officials/ helping staff involved in Laboratory Analysis/ Storage of the samples. Project Director Pashulok shall keep the **Sample Receiving Register** in his custody.
- 12. As prescribed on 'Format-5', Project Director Pashulok shall hand-over each of the Sample with Individual Identity Number, to Veterinary Officer Grade-1/ Veterinary Officer Grade-2 of the Laboratory for further analysis.
- 13. Veterinary Officer Grade-1/ Veterinary Officer Grade-2 of the Laboratory shall preserve & seal the half quantity of each of the sample for storage up to one year & use remaining half of the sample for lab analysis.
- 14. Standard Operative Procedure for following two techniques has been approved for laboratory analysis of the samples :-
  - (a) Species Specific PCR (mitochondrial D Loop)
  - (b) PCR by Universal Primer Technique (12s rRNA) & Species Identification by RFLP
- 15. Veterinary Officer Grade-1/ Veterinary Officer Grade-2 of the Laboratory shall do analysis of the samples as per the Standard Operative Procedure approved by undersigned.
- 16. After analysis of the samples, Veterinary Officer Grade-1/ Veterinary Officer Grade-2 shall enter the report in Sample Analysis Register of the Laboratory as prescribed in 'Format-6' and submit the same to Project Director Pashulok Rishikesh (Head/ In-charge of the Bovine Tissue Forensic Analysis Laboratory).
- 17. Project Director Pashulok Rishikesh shall convey the signed & sealed copy of the **Sample Analysis Report** on 'Format-7' to the Controlling Officer of the concerning Police Thana/ Police Chauki. Copy of the same Report shall be shared to concerning Veterinary Officer (who sealed the sample), Chief Veterinary Officer of the concerning district & undersigned.
- 18. In case needed, Bovine Tissue Forensic Analysis Laboratory may get time to time guidance/ help/ assistance/ skill improvement/ validation from higher

& better equipped laboratory of the Research Institutions functioning under Government of India.

- 19. To ensure better quality control, fairness & revalidation of operations, randomly remaining part of the Stored Sample may be sent to higher & better equipped laboratory of the Research Institutions functioning under Government of India for reconfirmation of the results.
- 20. The Sample Analysis Report will be submitted to the forwarding authority within two months.



Notified as per : G.O. No. 1002/XV-1/19-7(14)2005 AHS-1, dated 01-11-2019 Phone / Fax No. 0135 2450083 mail id : ddah.pashulok@yahoo.com

### FORMET-1 : FORMET FOR SAMPLE REVIEW

FIR/Forwarding letter no :	Date :	
Received from :	:	
Test requested :		
Review List : (Write Yes/ No in front of each poir	ıt)	
A. PROFORMA-18 from the sample sub	omitting authority -	Yes/ No
B. Copy of FIR (incase FIR been filed)/	brief detail of complaint	- Yes/ No
C. Sample is properly sealed with lacqu	ler -	Yes/ No
D. Sample not preserved/ contaminate	d with Formalin-	Yes/ No
E. Sample is properly preserved and no	ot putrefied -	Yes/ No
F. Sample is in sufficient quantity -		Yes/ No
G. Attested copy of the Identity card of	Police Personnel -	Yes/ No
H. Sample Seal attested by Jurisdiction	al Veterinary Officer -	Yes/ No

Remarks (If any): On the basis of above report, sample is accepted/ rejected.

#### Signature/ Seal of Project Director

#### **Declaration by Submitting Officer:**

I..... posted as ..... at....., hereby declare that the sample mentioned above was opened and reviewed in my presence.

Date :

Place :

Signature

For Official Use

Sample ID generated :



Notified as per : G.O. No. 1002/XV-1/19-7(14)2005 AHS-1, dated 01-11-2019 Phone / Fax No. 0135 2450083 mail id : ddah.pashulok@yahoo.com

### FORMET-2 : FORMET FOR SAMPLE RECEIPT

Date	:
Sample Receipt No.	:
Sample Description	:
No. of samples	:
Sample quantity and condition	:
Date of sample collection	:
Location of sample collection	:
Name & Address of Veterinary Officer who did the Sampling	:
Name & Address of Controlling Officer of Police Thana or Police Chauki	:
Identification details of sample accompanying police personnel	:
Test requested for	:
Sample review status	:

Project Director Seal



Notified as per : G.O. No. 1002/XV-1/19-7(14)2005 AHS-1, dated 01-11-2019 Phone / Fax No. 0135 2450083 mail id : ddah.pashulok@yahoo.com

### FORMET-3 : FORMET FOR SAMPLE REJECTION

Letter No. .....

Dated .....

To,

n-charge,	
Police Thana/ Police Chauki	•
District	•

Sir,

Kindly refer to your FIR No. ..... Forwarding Letter No. ...... dated ...... The sample was received on dated...... Receipt No. .....

The sample received with above letter is not admissible to the laboratory because :-

- 1. Missing PROFORMA-18 from the sample submitting authority.
- 2. Missing attested copy of the Identity Card of the Sample accompanying police personnel, attached with the forwarding letter.
- 3. Missing copy of FIR (incase FIR been filed) / brief detail of complaint
- 4. Sample has not been received in proper seal with lacquer.
- 5. Sample Seal attested by Jurisdictional Veterinary Officer is missing.
- 6. Sample has not been properly preserved.
- 7. Sample is too much putrefied.
- 8. Sample was found contaminated with Formalin.
- 9. Sample has not been found in sufficient quantity

10. Some other reasons narrated as .....

#### Signature/ Seal Project Director


- cc : 1. Veterinary Officer, Govt. Vety. Hosp. ..... District .....
  - 2. Chief Veterinary Officer, District .....
  - 3. Secretary, Uttarakhand Animal Welfare Board, Top Floor, Pashudhan Bhawan, Mothronwala, Dehradun.

Signature/ Seal Project Director

# FORENSIC ANALYSIS LABORATORY FOR DETECTION OF BOVINE TISSUE

#### **FORMET-4** : **FORMAT FOR SAMPLE RECEIVING REGISTER**

S.No.	Date of Receipt	Receipt No.	Sample quantity and condition	Date of sample collection	Name & Address of Veterinary Officer who did the Sampling	Name & Address of Controlling Officer of Police Thana or Police Chauki	Identification details of sample accompanying police personnel	Location of sample collection	Brief Description	Sample ID No.	Signature of Project Director



### FORMET-5 :

#### FORMAT FOR SAMPLE FORWARDING to BOVINE TISSUE FORENSIC ANALYSIS LAB

Date

Sample ID :

Quantity (approx)

Sample preservation condition

#### **Test Required**

(a) Species Specific PCR (mitochondrial D Loop)

:

٠

:

(b) PCR by Universal Primer Technique (12s rRNA) & Species Identification by RFLP

Signature/ Seal Project Director

# FORENSIC ANALYSIS LABORATORY FOR DETECTION OF BOVINE TISSUE

### FORMET-6 : SAMPLE ANALYSIS REGISTER OF THE LAB

S. No.	Date of Receipt	Sample ID No.	Sample quantity and condition	Sample Description	Test Results for Species Specific PCR (mitochondrial D Loop)	Test Results for PCR by Universal Primer Technique (12s rRNA) & Species Identification by RFLP	Signature of Veterinary Officer Grade-2	Signature of Veterinary Officer Grade-1	Signature of Project Director



Phone / Fax No. 0135 2450083 mail id : ddah.pashulok@yahoo.com \* Notified as per : G.O. No. 1002/XV-1/19-7(14)2005 AHS-1, dated 01-11-2019

### FORMET-7 : TEST REPORT

Test Report No	:	Date :
Sample Receipt No	:	
Sample Receipt date	:	
Sample ID No	:	
Sample Collected by	:	
Forwarding Police Officer	:	
Brief Details about Sample	:	
Blief Details about Sample		
Number of Samples	:	
Test Result	:	
Note:		
• No part of report, exce	pt in full, shall be reproduced	l without written consent
of the laboratory.		

• The sample, if available, will be stored up to 1 year from the date of receipt in the laboratory unless otherwise specified.

#### Signature/ Seal Project Director

- cc: 1. Veterinary Officer, Govt. Vety. Hosp. ..... District ......
  - 2. Chief Veterinary Officer, District .....
  - 3. Secretary, Uttarakhand Animal Welfare Board Dehradun.

#### Signature/ Seal Project Director

\* The lab has been Notified under Rule-33 of Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2018, read with section 30(d) of Indian Veterinary Council Act, 1984, section-45 of Indian Evidence Act, 1872 & section-293 of CrPC.